साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 104 लोग गिरफ्तार

'आपरेशन आक्टोपस' के तहत हैदराबाद पुलिस ने 16 राज्यों में की कार्रवाई

जनसत्ता ब्यूरो
दिल्ली, 24 फरवरी।

हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को देश भर में साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 16 राज्यों से 104 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि आरोपियों को 'आपरेशन आक्टोपस' के तहत पकड़ा गया है तथा ये सभी देश भर में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के 1,055 मामलों से जुड़े हैं।

पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इन मामलों में लगभग 127 करोड़ रुपए की कुल धोखाधड़ी की राशि शामिल है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 86 'म्यूल' खाताधारक (जिनके खातों का इस्तेमाल पैसों के लेन-देन के लिए हुआ) और 17 खातों का इंतजाम करने वाले बिचौलिए शामिल हैं। ये बिचौलिए खाते प्राप्त करने और धोखाधड़ी का पैसा मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने का काम करते थे। इनके अलावा, एक निजी बैंक के एक प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने जालसाजों की मदद की थी।

> *इन* मामलों में लगभग 127 करोड़ रुपए की कुल धोखाधड़ी की राशि शामिल है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 86 'म्यूल' खाताधारक और 17 खातों का इंतजाम करने वाले बिचौलिए शामिल हैं।

हाल के दिनों में निवेश के नाम पर ठगी, ट्रेडिंग धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे मामलों में तेजी आई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए 32 विशेष टीमें गठित की गईं और 10 दिनों की अवधि में 16 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर इस अभियान को अंजाम दिया गया।

इन टीमों को महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और ओड़ीशा में स्थित साइबर अपराध के हाटस्पाट पर एक साथ तैनात किया गया था। पुलिस ने इनके पास से 204 मोबाइल फोन, 141 सिम कार्ड, 152 बैंक पासबुक, 234 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 26 लैपटाप, 56 मुहरें और 36 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि 'आपरेशन आक्टोपस' एक निरंतर चलने वाली पहल है और इन सिंडिकेट के शीर्ष स्तर के लोगों को पकड़ने के लिए जांच जारी है।

रेलवे में यात्री सुरक्षा को मजबूत करेगा कृत्रिम मेधा आधारित निगरानी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे में कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित निगरानी को बढ़ाया जाएगा। साथ ही रेलवे ढांचे की सुरक्षा सुदृढ़ करने और नशा तस्करी रोकने की दिशा में काम होगा। मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सोनाली मिश्रा की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यात्रियों और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित कार्ययोजना और प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करने पर व्यापक चर्चा हुई। उभरती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह माना गया कि व्यापक भौगोलिक विस्तार, भारी यात्री आवागमन और खुली संरचना के कारण भारतीय रेलवे विभिन्न प्रकार के खतरों, संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और संभावित विध्वंसक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। इस दौरान एफआरएस आधारित सीसीटीवी, कृत्रिम मेधा संचालित वीडियो एनालिटिक्स और ड्रोन निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

> *रेलवे* सुरक्षा बल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यात्रियों और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित कार्ययोजना और प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करने पर व्यापक चर्चा हुई।

नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय निगरानी और रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने की रूपरेखा तैयार की गई। आपात स्थितियों से निपटने के लिए नियमित माक ड्रिल, परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण, भीड़ प्रबंधन और त्वरित एफआईआर पंजीकरण पर भी जोर दिया गया।

गोदावरी का जलस्तर घटने से जलधारा मार्ग पर सोना ढूंढने उमड़े लोग

छत्रपति संभाजीनगर, 24 फरवरी (भाषा)।

नदी का जलस्तर कम होना अधिकतर लोगों के लिए सूखे की आशंका होती है लेकिन महाराष्ट्र के पैठण शहर के कई निवासियों के लिए गोदावरी का जलस्तर घटना नदी किनारे जाकर सोना ढूंढने का समय होता है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के इस पवित्र शहर में समीपवर्ती गांवों के लोग सोमवार को छलनी और जाल लेकर गोदावरी नदी के तट पर उमड़ पड़े और जलस्तर कम होने पर बहुमूल्य वस्तुओं की तलाश करने लगे।

गोदावरी नदी एक ऐसा स्थान है जहां शोक संतप्त परिजन अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस दौरान वे मृतक से संबंधित आभूषण, सिक्के एवं अन्य बहुमूल्य सामान नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कड़कती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे एकत्र हुए और कमर तक के गहरे पानी में उतरे तथा खजाने और कीमती सामानों की तलाश की।

वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

वरिष्ठ नौकरशाह निधि चिब्बर को मंगलवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी छिब्बर वर्तमान में नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने छिब्बर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के निवर्तमान सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया।

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई, 24 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र विधानसभा के कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को बिश्नोई गिरोह के एक सहयोगी से जान से मारने की धमकी और 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। यह खुलासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने मंगलवार को राज्य सदन में किया। उन्होंने पठान को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वडेट्टीवार की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आ''ान किया।

वडेट्टीवार ने कहा कि अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पठान को 17 फरवरी को अपराह्न करीब 3:30 बजे एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से फोन काल आया, जिसमें काल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह से जुड़े शुभम लोनकर के रूप में पहचान बताते हुए 10 करोड़ रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बताया कि फोन काल करने वाले ने यह भी चेतावनी दी कि पुलिस को सूचित करने से केवल अस्थायी सुरक्षा मिलेगी और गिरोह बाद में भी उन्हें निशाना बनाएगा।

बिश्नोई गिरोह पर मुंबई में कुछ सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का संदेह है, जिनमें अक्तूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बालीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाना शामिल है।

विरोध महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन करते कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी के विधायक।

जाम में फंसी न्यायाधीशों की गाड़ियां, डीजीपी तलब

चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने भरोसा दिलाया, ऐसा दोबारा न हो इसके लिए कदम उठाएंगे

चंडीगढ़, 24 फरवरी (ब्यूरो)।

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों के कारण सुबह भारी जाम लग गया। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की गाड़ियां फंस गईं। इस पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया। चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत सिंह हुड्डा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले कांग्रेस के विधायकों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने नौकरियों, किसानों समेत अन्य मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकाला। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सुबह 9:55 बजे हाई कोर्ट की ओर जाने वाले चौराहे पर भारी जाम लगा इसमें हाई कोर्ट जा रहे कुछ न्यायाधीश भी फंस गए। न्यायाधीश संदीप मौदगिल ने रिकार्ड में रखे गए एक नोट में कहा कि सुबह 9.55 बजे, कई जज हाई कोर्ट परिसर की ओर जाने वाले गोल चक्कर के पास यातायात जाम में फंस गए, जिससे अदालत की कार्यवाही शुरू होने में 15 से 20 मिनट की देरी हुई।

> *न्यायाधीश* संदीप मौदगिल ने रिकार्ड में रखे गए एक नोट में कहा कि सुबह 9:55 बजे, कई जज हाई कोर्ट परिसर की ओर जाने वाले गोल चक्कर के पास यातायात जाम में फंस गए, जिससे अदालत की कार्यवाही शुरू होने में 15 से 20 मिनट की देरी हुई।

उन्होंने देखा कि उनके अपने सुरक्षा कर्मियों को जाम खुलवाने में मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि गोल चक्कर पर तैनात पुलिसवाले न्यायाधीशों की गाड़ियों को आसानी से निकाल नहीं पाए। नोट के मुताबिक हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शनकारी सचिवालय बैरिकेड के मुख्य द्वार तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। यह स्थिति पहली नजर में बड़ी लापरवाही है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। दोपहर बाद हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी के साथ एसएसपी (पुलिस) कंवरदीप कौर व एसएसपी (यातायात) सुमेर प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

अदालत में चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने कहा कि यह जाम तब लगा जब 10 से 12 विपक्षी विधायकों ने हाई कोर्ट गोल चक्कर से 150 मीटर दूर से हरियाणा विधानसभा की ओर पैदल चलने का फैसला किया। वकील ने यह भी बताया कि समय-समय पर बम की धमकियों के कारण होने वाली तलाशी और सुरक्षा जांच की वजह से राहगीरों और गाड़ियों को निकलने में ज्यादा समय लगा। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील व डीजीपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों पर स्वतः संज्ञान का मामला बंद किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में प्रदूषित नदियों पर शुरू किया गया स्वतः संज्ञान का मामला बंद कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कई समान मामलों के कारण आदेशों की निरंतरता और एकरूपता प्रभावित हो रही थी। पीठ ने कहा कि यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर पहले स्वतः संज्ञान लिया गया था। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में गरिमा के साथ जीना अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की बारीकी से निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक ही विषय पर कई अलग-अलग अदालतों और मंचों पर मामले लंबित होने के कारण आदेशों की निरंतरता प्रभावित हो रही थी। सरकारें इस अधिकार की रक्षा करने और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बाध्य हैं।

> *सुप्रीम* कोर्ट ने कहा कि एक ही विषय पर कई अलग-अलग अदालतों और मंचों पर मामले लंबित होने के कारण आदेशों की निरंतरता प्रभावित हो रही थी।

पीठ ने कहा कि अब एनजीटी इस पूरे मामले को फिर से खोले और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुपालन की नियमित निगरानी करे। अदालत ने कहा कि एनजीटी के पास तकनीकी विशेषज्ञता है, जो जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए उपयुक्त है। संबंधित पक्ष एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रपट अब ट्रिब्यूनल को देनी होगी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा, यह वासना नहीं प्रेम था

नैनीताल, 24 फरवरी (भाषा)।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चे के संरक्षण (पाक्सो) के मामले में कार्यवाही रद्द कर दी, साथ ही इस बात पर गौर किया कि आरोपी और पीड़िता अब कानूनी रूप से विवाहित हैं। उनका एक बच्चा भी है और महिला उसके (आरोपी के) साथ रहना चाहती है।

> *न्यायमूर्ति* आलोक मेहर ने कहा कि आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई परिवार को अस्त-व्यस्त कर देगी।

न्यायमूर्ति आलोक मेहर ने कहा कि मुकदमे को जारी रखने या आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई परिवार को अस्त-व्यस्त कर देगी। ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। अदालत ने पाया कि अपराध प्रेम से प्रेरित था, न कि वासना से, और पीड़िता अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहती थी।

यह मामला चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित था। आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ जारी आरोपपत्र और समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी। इसमें यह भी बताया गया कि अब उनका एक बच्चा भी है। पीड़िता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वह बालिग है। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि से भी इसकी पुष्टि हुई। याचिका में कहा गया कि पीड़िता ने 12 मई, 2023 को अपनी मर्जी से आरोपी से शादी की थी और 27 अक्तूबर, 2025 को एक बेटे का जन्म हुआ।

ORTIN GLOBAL LIMITED

CIN: L68200TG1986PLC006885
Registered Office: D. No. 1-8-305, Ground Floor, Chikkadpally, Musheerabad (Delivery), Hyderabad, Telangana 500020, India
Tel. No. +91-9052011118; E-mail: info@ortinlabsindia.com; Website: www.ortinlabsindia.com;

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF ORTIN GLOBAL LIMITED

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 21,14,162 (TWENTY ONE LAKH FOURTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY TWO ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HAVING A FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH *("OFFER SHARES")* REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF ORTIN GLOBAL LIMITED *("TARGET COMPANY")* FROM PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY AT AN OFFER PRICE OF ₹14.65/-, PAYABLE IN CASH BY MR. PARVEEN SATIJA ('ACQUIRER') PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED *("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").*

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") is being issued by Rarever Financial Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company.

This Corrigendum should be read in continuation of, and in conjunction with, the Detailed Public Statement dated February 17, 2026 which has been sent to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) on which Equity Shares of Target Company are listed and to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the Target Company in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this Corrigendum and not defined herein shall have same meaning ascribed to it in Public Announcement.

In relation to DPS, the Public Shareholders are requested to take note of following modifications:

Subpoint 1.3 of "Information about the Acquirer" in the DPS should be read as follows:

After completing his schooling, he chose to pursue business full-time, gaining extensive hands-on experience and developing deep practical knowledge in the industry. His entrepreneurial insight and commitment have been instrumental in driving sustained growth. Mr. Parveen Satija having more than 20 years of experience He is an Indian business professional associated with corporate leadership roles in India. He has served as a Director in private limited companies and is experienced in board-level oversight, statutory compliance, and strategic supervision of business operations. His professional engagements reflect long-term involvement in privately held enterprises with a focus on governance and operational stability.

Name(s) of the Companies in which the Acquirer holds Directorship:

Sr. No	Name of the Companies	Name of Acquirer
1.	Samsung Electro Product Private Limited	Mr. Parveen Satija (DIN: 00197648)

Except as detailed in this Corrigendum, all other terms and contents of the DPS remain unchanged.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum and for the fulfilment of their obligations under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

This Corrigendum will be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in.

ISSUED ON BEHALF OF ACQUIRERS BY MANAGER TO THE OFFER

RarEver
FINANCIAL ADVISORS

Rarever Financial Advisors Private Limited
Address:- 807, Iconic Shyamal, Shyamal Cross Road, 132, Ring Road, Satellite, Manekbag, Ahmedabad, Gujarat 380015.
Contact No. +91-99981 23745
Website: www.rarever.in
Contact Person: Mr. Jiten Patel / Mr. Prasann Bhatt
Email ID: - mb1@rarever.in
SEBI Reg. No. INM000013217

Place: Delhi
Date: February 25, 2026

For and on behalf of the Acquirer
Sd/-
Parveen Satija

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा जमीन अतिक्रमण मामले में दिया आदेश

रेलवे की 29 एकड़ जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की करीब 29 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जायमाल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को 55 मिनट तक चली सुनवाई के बाद फैसला देते हुए हर पहलू पर गौर किया।

इंदिरा नगर, बनभूलपुरा, छोटी लाइन, गफूर बस्ती और लाइन नंबर इलाके में अतिक्रमण का यह मुद्दा लंबे समय से विवाद में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन राज्य की है और उसे अधिकार है कि वह अपनी जमीन का उपयोग कैसे करे। पीठ ने कहा कि प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान की जाए। बनभूलपुरा में पुनर्वास केंद्र बनाए जाएं, गरीब व अल्प आय वर्ग वाले लोगों की सर्वे के तहत पहचान की जाए कि उन्हें पुनर्वास के तहत रहने के लिए घर दिए जा सकते हैं या नहीं। साथ ही प्रभावित लोगों को अगले 6 महीने तक दो-दो हजार रुपए दिए जाएं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उनसे वहीं रहने के लिए क्यों कहा जाए, जबकि बेहतर सुविधाओं वाली कोई दूसरी जगह हो सकती है।

> *शीर्ष* अदालत ने कहा कि यह जमीन राज्य की है और उसे अधिकार है कि वह अपनी जमीन का उपयोग कैसे करे।

किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ खाली जगह की जरूरत होती है। वहां रहने वाले लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन कहां बिछानी चाहिए।

उत्सव

पांच ड्रोन कैमरों से मेला क्षेत्र पर रखी जा रही है नजर

मथुरा में आज खेली जाएगी लट्ठमार होली

मथुरा, 24 फरवरी (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में चहुंओर रंग बरस रहा है। मंगलवार को लड्डू होली खेली गई। बुधवार को लट्ठमार होली होगी। होली को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आलाधिकारियों ने बरसाना में डेरा डाल दिया है। मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बरसाना स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल रूम से मेला क्षेत्र का जायजा लिया।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, लट्ठमार होली मूलतः राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा है। कथा के अनुसार, भगवान कृष्ण और उनके मित्र नंदगांव से राधा और उनकी सखियों पर रंगों का छिड़काव करने के लिए बरसाना आते हैं। जैसे ही कृष्ण और उनके मित्र बरसाना में प्रवेश करते हैं तो वहां राधा और उनकी सखियां उनका लाठियों से स्वागत करती हैं। इसी हास्य विनोद का अनुसरण करते हुए, हर साल होली के अवसर पर नंदगांव के ग्वाल बाल बरसाना आते हैं और वहां की महिलाओं द्वारा रंग और लाठी से उनका स्वागत किया जाता है। इस दौरान इन ग्वालों को होरियारे और ग्वालिनों को हुरियारिन के नाम से संबोधित किया जाता है।

> *वरिष्ठ* पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि लट्ठमार होली के लिए मेला क्षेत्र में 150 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं। 10 टावरों से पूरे क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। 10 गुंडा दमन दल की टीम व सामाजिक संगठनों की टीम भी तैनात हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लट्ठमार होली के लिए मेला क्षेत्र में 150 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं। 10 टावरों से पूरे क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। पांच ड्रोन कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र पर लट्ठमार होली के दौरान पैनी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में सात पुलिस अधीक्षक, 23 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 54 निरीक्षक, 355 उपनिरीक्षक, 1226 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 340 होमगार्ड, 63 महिला उपनिरीक्षक, 144 महिला आरक्षी, 19 यातायात निरीक्षक समेत पांच कंपनी पीएसी, 10 गुंडा दमन दल की टीम व सामाजिक संगठनों की टीम भी तैनात हैं। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कहा इतने बड़े उत्सव को कराना सौभाग्य का मौका है।